

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 06/2025 - केंद्रीय कर

नईदिल्ली, तारीख 10 जनवरी, 2025

सा.का.नि.....(अ) .- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (4) के प्रथम परंतुक के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, दिसम्बर, 2024 माह के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रारूप जीएसटीआर-8 में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक के माध्यम से की गई माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे सहित विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, माह जनवरी, 2025 के बारहवें दिन तक आगे बढ़ाते हैं।

[फ.सं. सीबीआईसी-20021/2/2025-जीएसटी]

(रौशन कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव